न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा जिला
रीवा म 0 प्र 0

R 5057-दो/15

Rs-201

410
16.9.15

आनन्द कुमार शर्मा तनय स्व0 श्री गुरू प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम – रायपुर कर्चुलियान थाना व तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म 0 प्र 0—— निगरानीकर्ता

बनाम

1:– काशी प्रसाद शर्मा तनय स्व0 श्री रामप्यारे शर्मा
2:– जय प्रकाश शर्मा तनय स्व0 श्री बाबूलाल शर्मा
3:– श्रीनिवास शर्मा तनय स्व0 श्री बाबूलाल शर्मा
4:– शशी पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल शर्मा
5:– रेखा देवी पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल शर्मा
6:– अन्जूदेवी शर्मा पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल शर्मा
7:– नीतू उर्फ अनीता शर्मा पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल शर्मा
8:– श्यामलाल शर्मा तनय स्व0 श्री शरजू प्रसाद शर्मा
9:– देवकली पुत्री स्व0 श्री शरजू प्रसाद शर्मा
10:– रामकली देवी पुत्री स्व0 सरजू प्रसाद शर्मा
11:–सरिसकली पुत्री स्व0 श्री सरजू प्रसाद शर्मा
12:–विजय प्रताप शर्मा पुत्र स्व0 श्री भैरोलाल शर्मा
13:–श्रीमती रामरती शर्मा पति स्व0 श्री गुरू प्रसाद शर्मा

सभी निवासी ग्राम – रायपुर कर्चु0 तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवाम0प्र0
—————— गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. आदित्य सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 16.9.15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्री मानतहसील दार, तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0के द्वारा पारित राजस्व प्रकरण कमांक 84/ए/27/05/2006 मे पारित आर्डरसीट दिनांक 18/8/015

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 (2) म0 प्र0 भू0रा0 संहिता सन 1959 ई 0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1:– यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सन्दर्भित प्रकरण के आर्डरसीट दिनांक 18/8/2015 विधि एवम प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

आनन्द कुमार शर्मा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-5057–दो/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश आनंद कुमार/काशी प्रसाद	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक–18.8.15 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक–10 रामकली के वारिसानों को रिकार्ड पर लेने का आदेश दिया गया है जो विधि अनूकुल है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने की संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में उभय पक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, जहां उभयपक्ष अपना–अपना प्रतिरक्षण कर सकते हैं। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जात है । अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो । सदस्य 1.12.15	